

जमाअत के ओहदेदारों की ज़िम्मेदारियाँ

खुल्बा जुमा

हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह
अल-खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिहिल अज़ीज़

(15 जुलाई 2016, मस्जिद बैतुलफूतूह लन्दन)



प्रकाशक

नज़ारत उलिया, सदर अन्जुमन अहमदिया क्रादियान

नाम पुस्तिका :- जमाअत के ओहदेदारों की जिम्मेदारियाँ
(खुत्बा जुमा - हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल
मसीह अल-खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिहिल अज़ीज़
15 जुलाई 2016, मस्जिद बैतुलफ़ूतूह लन्दन)

अनुवादक :- अली हसन एम.ए.

प्रथम संस्करण :- 2017

संख्या :- 1000

प्रकाशक :- नज़ारत उलिया, सदर अन्जुमन अहमदिया
क़ादियान

प्रबंधान्तर्गत :- नज़ारत नशरो इशाअत सदर अन्जुमन
अहमदिया क़ादियान-143516, ज़िला
गुरदासपुर, पंजाब (भारत)

मुद्रक :- फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान

ओमरा, सदरान व अन्य ओहदेदारों एवं मुबलिंगों के लिए हिदायतें

❖ जो जमाअती कामों की ज़िम्मेदारी सँभालते हैं उन लोगों की विशेष रूप से यह मूल विशेषता होनी चाहिए कि वे हमेशा सच्चाई पर क्रायम रहते हुए अपने काम करें।

❖ यदि शोबा तरबियत सरगर्म हो जाए तो बहुत से दूसरे शोबों (विभागों) के काम खुद बखुद हो जाते हैं।

❖ तरबियत का काम पहले अपने घर से शुरू करें और यह घर केवल सेक्रेटरी तरबियत का घर नहीं है बल्कि आमला के हर मेम्बर का घर है और मजिलिस आमला सबसे बढ़कर है कि वह अपनी तरबियत करे। अमीर जमाअत, सदर जमाअत और सेक्रेटरी तरबियत जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उनको सबसे पहले अपनी आमला को देखना चाहिए कि वह उन प्रोग्रामों पर अमल कर रही है कि नहीं। खुदा तआला के जो मूल आदेश हैं और मनुष्य की पैदाइश का जो उद्देश्य है उसे आमला के मेम्बर पूरा कर रहे हैं?

❖ अल्लाह तआला के हुक्म क्रम में सब से बड़ा हक्क इबादत का है और उसके लिए मर्दों को यह हुक्म है कि नमाज़ को क्रायम करो और नमाज़ों का क्रायम बाजमाअत नमाज़ की अदायगी है। अतः ओमरा, सदरान और ओहदेदार अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करके उसके क्रायम और बाजमाअत अदायगी की भरपूर कोशिश करें। हमारे हर ओहदेदार में नमाज़ बाजमाअत की अदायगी का एहसास होना चाहिए नहीं तो अमानतों का हक्क अदा करने वाले नहीं होंगे, जिसका कुर्खानी करीम ने बार-बार आदेश दिया है।

❖ इसके अतिरिक्त भी कई बातें हैं जिनका ओहदेदारों को खास ध्यान रखना चाहिए और यह बातें लोगों के हुक्म क्रम और जमाअत के लोगों के साथ ओहदेदारों के रवैयों से संबंध रखती हैं।

❖ फिर एक विशेषता जो ओहदेदारों में होनी चाहिए वह विनम्रता है।

❖ अपने-अपने काम का दायरा समझने के लिए ओहदेदारों के

लिए आवश्यक है कि उसूलों और नियमों को पढ़ें और समझें।

❖ फिर एक विशेषता ओहदेदारों की यह भी होनी चाहिए कि वह मातहतों से अच्छा बर्ताव करें।

❖ किसी के दिल में यह सोच नहीं होनी चाहिए कि मेरा तजुर्बा और मेरा ज्ञान जमाअत के कामों को चला रहा है या मेरा तजुर्बा या मेरा ज्ञान जमाअत के कामों को चला सकता है जमाअत के कामों को खुद तआला का फज्ल चला रहा है।

❖ फिर एक खूबी जो ओहदेदारों में होनी चाहिए वह प्रसन्नचित्तता है और हंसमुख स्वभाव से पेश आना है।

❖ ओहदेदारों की और विशेष रूप से ओमरा, सदरान और तरबियत के शोबों और फैसला करने वाले शोबों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वे लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के तरीके सोचें। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि अल्लाह तआला के आदेशों के अन्दर रहते हुए यह तरीक अपनाने हैं।

❖ ओमरा, सदरान और जमाअती सेक्रेट्रियान का यह भी बहुत अहम काम है कि मर्कज़ से जो हिदायतें या सर्कुलर जाते हैं उन पर तुरन्त पूरे ध्यान से अमल करें और अपनी जमाअतों के ज़रिये भी करवाएँ।

❖ मूसियान को पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि अपने चन्दे की विधिवत अदायगी और उसका हिसाब रखना हर मूसी की अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मर्कज़ी दफ्तर और सम्बन्धित सेक्रेट्रियान को सरगर्म करें और हर मूसी उनके सम्पर्क में हो।

❖ अल्लाह तआला तमाम ओहदेदारों को तौफीक दे कि अल्लाह तआला ने जो उनको आने वाले तीन साल के लिए खिदमत का मौका दिया है उसमें वे आपनी तमाम सलाहियतों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम सर अंजाम दे सकें और अपनी कथनी और करनी से जमाअत में नमूना (आदर्श) बनने वाले हों।

खुत्बा जुमा सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत
मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह अल-
खामिस अब्दुल्लाह तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़

15 जुलाई 2016, बमुताबिक 15 वफ़ा 1395 हिजरी शाम्सी
स्थान मस्जिद बैतुल फुतूह मार्डन लन्दन

أَشْهُدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ

कुछ समय पहले में एक खुत्बा में उल्लेख कर चुका हूँ कि यह जमाअत के उहदेदारों के चुनाव का साल है। अब प्रायः स्थानों पर चुनाव हो चुके हैं देशों में भी और स्थानीय जमाअतों में भी और नए उहदेदारों ने अपने काम संभाल लिए हैं। उहदेदारों में कुछ स्थानों पर कुछ अमीर सदर साहिबान और अन्य उहदेदार नए चुने गए हैं लेकिन कई स्थानों पर पहले से काम करने वालों को ही फिर से चुना गया है। नए आने वालों को भी अल्लाह तआला का जहां शुक्रिया करना चाहिए कि उन्हें अल्लाह तआला ने जमाअत की सेवा के लिए चुना वहां विनप्रता से अल्लाह तआला के सामने झुकते हुए अल्लाह तआला से सहायता मांगनी चाहिए कि अल्लाह तआला उन्हें अमानत का हक्क अदा करने के लिए तौफीक दे जो उनको सौंपी गई है। इसी तरह जो

उहदेदार फिर से निर्वाचित हुए हैं वे जहां अल्लाह तआला का धन्यवाद करें कि अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा सेवा की तौफीक दी वहाँ अल्लाह तआला से यह विनम्र दुआ भी मांगें कि अल्लाह तआला ने उन्हें सारी क्षमताओं के साथ इन अमानतों का हक्क अदा करने की शक्ति प्रदान करे और पिछले समय सेवा के दौरान उन से जो कमियां सुस्तियाँ और चूकें हो गईं जिसकी वजह से उनको सौंपी गईं अमानतों का हक्क अदा नहीं किया गया या सही अदायगी नहीं हो सकी। अल्लाह तआला एक तो इससे सर्फ नज़र फरमाए और फिर अपना फज़ल फरमाते हुए कि अगले तीन साल के लिए फिर से सेवा का अवसर उसने प्रदान फरमाया है और जो अमानतें उसे सौंपी गई हैं उनमें भविष्य में सुस्तियाँ और कमियां और चूकें न हों और उन अमानतों का हक्क अदा करने की अल्लाह तआला तौफीक प्रदान करे।

याद रखना चाहिए कि जमाअत की सेवा को कोई मामूली सेवा नहीं समझना चाहिए। सरसरी तौर पर नहीं लेना चाहिए। हम में से हर एक ने चाहे उहदेदार है या एक साधारण अहमदी है उसने यह वादा किया है कि वह धर्म को दुनिया में प्राथमिकता करेगा और जब एक व्यक्ति धर्म की सेवा या बतौर उहदेदार किसी सेवा करने को स्वीकार करता है या सेवा में लगाया जाता है तो उस पर दूसरों से अधिक बढ़कर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने वादा को पूरा करे और याद रखे कि यह वादा उसने अल्लाह तआला से किया है और अल्लाह तआला ने अपने वादों को पूरा करने के कई स्थानों में कुरआन में उल्लेख किया है। इसलिए हमेशा याद रखें अल्लाह तआला ने यह बड़ा स्पष्ट फरमाया है कि तुम्हारे सुपुर्द की गई अमानतें जिन्हें तुम स्वीकार करते हो तुम्हारे वादे हैं इसलिए अपनी अमानतों और अपने वादों को पूरा करो। एक जगह अल्लाह तआला ने अपने वादा के सच्चे और तक्वा पर चलने

वालों की यह निशानी बताई है कि

وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
(अल्बकर: 178)

अर्थात् अपने वादा को जब कोई वादा कर ले तो पूरा करने वाले हैं।

तो यह विशेष रूप से एक बुनियादी अंतर होना चाहिए, जो लोग जमाअत के कार्यों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं कि वे हमेशा सत्य पर कायम रहते हुए और अपने तक्वा की गुणवत्ता बढ़ाते हुए अपने काम अंजाम दें। अगर उनकी सच्चाई की गुणवत्ता में थोड़ी सी भी झोल है, कमी है, तो उनके तक्वा की गुणवत्ता एक साधारण जमाअत के व्यक्ति के लिए नमूना नहीं तो वह अपनी प्रतिज्ञा, अपने पद, अपनी अमानत के हक्क को अदा करने के लिए ध्यान नहीं दे रहे।

इसलिए उहदेदार, सदर साहिबान सब से पहले अपनी कार्यकारिणी के सामने भी और जमाअत के व्यक्तियों के सामने भी अपने नमूने स्थापित करें।

तरबियत के सैक्रेटरी जिनके ज़िम्मा तरबियत का काम है और तरबियत का काम तभी सही रंग में हो सकता है जब नमूने स्थापित हों जो काम करने वाला है, जिसकी ज़िम्मेदारी है दूसरों को नसीहत करने वाला है तो खुद भी उन कार्यों पर चलने वाला हो। इसलिए तरबियत के सैक्रेटरी भी अपने नमूने जमाअत के लोगों के सामने स्थापित करें कि जमाअत की तरबियत की ज़िम्मेदारी उन पर लागू होती है।

मैं कई अवसरों पर उल्लेख कर चुका हूँ कि अगर तरबियत विभाग सक्रिय हो जाए तो कई अन्य क्षेत्रों के काम अपने आप हो जाते हैं। जितनी जमाअत के लोगों की तरबियत की गुणवत्ता उच्च होगी उतना ही अन्य क्षेत्रों का काम आसान हो जाएगा। जैसे सैक्रेटरी माल का काम

आसान हो जाएगा। सैक्रेटरी उम्रे आम्मा का काम आसान हो जाएगा। सैक्रेटरी तब्लीग का काम आसान हो जाएगा। इसी तरह अन्य क्षेत्रों का, कज्ञा का काम आसान हो जाएगा।

मैं अक्सर कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न स्थानों पर कहा करता हूँ कि तरबियत का काम पहले अपने घर से शुरू करें और यह घर केवल सैक्रेटरी तरबियत का घर नहीं है बल्कि कार्यकारिणी के हर सदस्य का घर है और कार्यकारिणी सबसे बढ़कर है कि वह अपनी तरबियत करे। अमीर जमाअत, सदर जमाअत और सैक्रेटरी तरबियत पहले जो भी कार्यक्रम बनाते हैं अपनी कार्यकारिणी को देखना चाहिए कि वह इन कार्यक्रमों का अनुकरण कर रही है कि नहीं। खुदा तआला के जो मूल आदेश हैं और मनुष्य के जन्म का जो लक्ष्य है उसे कार्यकारिणी के सदस्य पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर तक्वा नहीं।

अल्लाह तआला के अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार इबादत है और इसके लिए पुरुषों को यह आदेश है कि नमाज़ का क़्रयाम करो और नमाज़ का क़्रयाम जमाअत के साथ नमाजों का अदा करना है। इसलिए अमीर, सदर, उहदेदार अपनी नमाजों की रक्षा कर के इस का क़्रयाम और जमाअत के साथ अदायगी की भरपूर कोशिश करें तो जहां इससे हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, नमाज़ सेंटर आबाद होंगे वहां वे अल्लाह तआला के फज्जलों को भी प्राप्त करने वाले होंगे और अपने व्यावहारिक नमूने से जमाअत के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित करने वाले होंगे। अल्लाह तआला के फज्जलों के वारिस भी होंगे। उनके कार्यों में आसानियां भी पैदा होंगी। केवल बातें करने वाले ही नहीं होंगे। इसलिए काम करने वाले पहले अपनी समीक्षा करें कि किस सीमा तक उनकी

कथनी और करनी एक हैं। अल्लाह तआला फरमाता है कि
يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
(अस्सप्फ 3)

अर्थात् हे मोमिनो वे बातें क्यों कहते हो जो करते नहीं।

हज़रत मसीह मौजूद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि “यह आयत ही बतलाती है कि दुनिया में कहकर खुद न करने वाले भी मौजूद थे और हैं और होंगे।” फरमाया कि “तुम मेरी बात सुन रखो और खूब याद कर लो कि मनुष्य की बातचीत सच्चे दिल से न हो और व्यावहारिक शक्ति उसमें न हो तो वह प्रभाव दायक नहीं होती।”

(मल्फूज़ात भाग 1 पृष्ठ 67 संस्करण 1985ई प्रकाशन यू.के)

फिर फरमाया “याद रखो कि केवल शब्दाडंबर और भाषा काम नहीं आ सकती जब तक पालन न हो” और “केवल बातें अल्लाह तआला के निकट कुछ भी महत्त्व नहीं रखतीं।”

(मल्फूज़ात भाग 1 पृष्ठ 77 संस्करण 1985ई प्रकाशन यू.के)

अनुकरण के अतिरिक्त अगर दूसरी बातें हैं तो अल्लाह तआला के नज़दीक उनका कोई महत्त्व नहीं।

तो हज़रत मसीह मौजूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के इस आदेश के अनुसार खोलकर बताया कि हमारे कर्म और कथन में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे अधिक इस बात को सामने रखकर अपनी समीक्षा करने वाले हमारे उहदेदार होने चाहिए।

जहां दूरियां अधिक हैं या कुछ घर हैं और मस्जिद या केंद्र की सुविधा मौजूद नहीं। वहाँ घरों में नमाज़ का प्रबन्ध हो सकता है और वस्तुतः यह मुश्किल नहीं है। बहुत से अहमदी हैं जो इस की पाबन्दी करते हैं उनके पास कोई नियमित ओहदा भी नहीं है किसी कार्यकारिणी के सदस्य भी नहीं हैं लेकिन अपने घरों में आसपास के अहमदियों को

इकट्ठा करके जमाअत के साथ नमाज़ का प्रबन्ध करते हैं। तो अगर एहसास हो तो सब कुछ हो सकता है और हमारे प्रत्येक उहदेदार में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का एहसास होना चाहिए। वरना अमानतों का हक्क अदा करने वाले नहीं होंगे। जिसकी कुरआन में बार बार नसीहत की गई है।

इसलिए हमेशा उहदेदारों को यह बात सामने रखनी चाहिए कि अल्लाह तआला ने वास्तविक मोमिन की निशानी ही यह बताई है कि वह अपनी अमानतों और अपने पदों का ख्याल रखने वाले हैं उनकी निगरानी करने वाले हैं यह देखने वाले हैं कि कहीं हमें जो अमानतें सौंपी गई हैं और जो हम ने सेवा करने का वादा किया है उस में से कोई कमी और कोताही तो नहीं हो रही? क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह तआला ने कुरआन में यह भी फरमाया है कि

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُؤُلًا

(बनी इस्माईल 35)

कि हर वादा के बारे में एक न एक दिन पूछा जाएगा। इबादत तो एक बुनियादी बात है और यही मानव जन्म का उद्देश्य है और उस का हक तो हम ने अदा करना ही है इसमें सुस्ती विशेष रूप से उहदेदारों से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी भी वास्तविक मोमिन से नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जिनका उहदेदारों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यह बातें लोगों के अधिकारों और जमाअत के व्यक्तियों के साथ उहदेदारों के व्यवहार से संबंध रखती हैं और इस तरह यह बातें उहदेदारों के पदों से भी संबंध रखती हैं।

कोई उहदेदार अफसर बनने की अवधारणा या बनाए जाने के विचार से किसी सेवा पर तैनात नहीं किया जाता बल्कि इस्लाम में तो

उहदेदार की कल्पना ही बिल्कुल अलग है और आँ हज़रत सल्लल्लाहो
अलैहि वसल्लम ने उसे इस तरह उल्लेख फरमाया है कि क्रौम का
प्रधान क्रौम का सेवक होता है।

(कन्जुल् अम्माल किताबुस्सफर भाग 6 पृष्ठ 302 हदीस 17513 प्रकाशन दारुल कुतब इलमिया
बैरूत 2004ई)

इसलिए एक उहदेदार का लोगों के मामले में अपनी अमानत
का हक अदा करना उसका क्रौम का सेवक बनकर रहना है। और यह
स्थिति उस समय पैदा हो सकती है जब व्यक्ति में कुर्बानी की भावना
हो उसमें विनम्रता और विनय हो। उसका धैर्य का गुण दूसरों से उच्च
हो। कई बार उहदेदारों को कुछ बातें भी सुननी पड़ती हैं। अगर सुननी
पड़ी तो सुन लेनी चाहिए। अपनी यह समीक्षा तो उहदेदार खुद ही कर
सकते हैं कि उनका यह सहन का पैमाना कितना ऊँचा है। किस हद
तक है और विनम्रता की हालत उनकी किस हद तक है। कई बार ऐसे
उहदेदारों के मामले भी सामने आ जाते हैं जिन में सहनशीलता बिल्कुल
भी नहीं होती और यदि कोई दूसरा बदतमीज़ी कर रहा है तो यह भी तू
तकार शुरू कर देते हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति बद तमीज़ है तो इस
से उसे तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसके आचार तो यही कहेंगे बड़ा
अनैतिक है आचरण गिरे हुए हैं लेकिन जब उहदेदार के मुंह से ग़लत
शब्द लोगों के सामने निकलते हैं तो उहदेदार की अपनी प्रतिष्ठा और
गरिमा पर आँच आती है और साथ ही जमाअत के लोगों पर प्रभाव
पड़ता है। जमाअत का जो स्तर चाहिए और जिस स्तर पर हज़रत मसीह
मौक़द अलैहिस्सलाम हमें देखना चाहते हैं उसमें अगर कहीं भी एक भी
ऐसा उदाहरण हो जाए तो जमाअत की बदनामी का कारण बनता है और
बन सकता है और यह उदाहरण कुछ स्थानों पर मिलते हैं। मस्जिदों में
भी झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये बातें बच्चों और युवाओं पर बहुत बुरा

असर डालती हैं।

अल्लाह हमसे क्या चाहता है और कुरबानी के उच्च मानकों को स्थापित करने वालों का अल्लाह तआला ने किस तरह उल्लेख किया है। एक जगह फरमाया कि

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
(अल्हशर 10)

कि मोमिन जो हैं अपने धार्मिक भाइयों को अपने नफसों पर प्राथमिकता देते हैं। यह उदाहरण अंसार ने मुहाजरीन के लिए स्थापित किया और यही एक नमूना हमारे लिए है। यह नफसों को प्राथमिकता देना तो बड़ी दूर की बात है और बड़ी बात है, कई बार तो जो किसी का हक्क है वह भी पूरी तरह से अदा नहीं किया जाता। लोगों के कुछ मामले उहदेदारों के पास आते हैं या केंद्र में रिपोर्ट भिजवाने के लिए आते हैं या केंद्र से रिपोर्ट भिजवाने के लिए कुछ मामले भेजे जाते हैं तो बड़ी बे ध्यानी से मामले की रिपोर्ट दी जाती है। सही रंग में तहकीक नहीं की जाती और रिपोर्ट भिजवाई जाती है या मामले को इतना लटका दिया जाता है कि अगर किसी ज़रूरत मंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई आवेदन है तो समय पर ज़रूरत पूरी न होने के कारण उस ज़रूरत मंद को हानि हो जाती है या तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। कुछ उहदेदार अपनी व्यस्तता का भी बहाना प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ के पास कोई बहाना नहीं होता केवल ध्यान न देना होता है। अगर इन के अपने मामले हों या किसी क़रीबी के मामले हों तो प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं।

इसलिए वास्तविक सेवा की भावना, त्याग की भावना, अपनी अमानत का सही हक अदा करना तो यह है कि एक चिंता के साथ दूसरे के काम आया जाए और जब यह कुरबानी की भावना और दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझ कर काम किया जाएगा तो जमाअत

के लोगों की भी कुरबानी का स्तर बढ़ेगी। एक दूसरे के हक्क मारने के स्थान पर हक्क देने की ओर ध्यान होगा। हम दूसरों के सामने तो यह कहते हैं कि दुनिया में शांति तब स्थापित हो सकती है जब हर स्तर पर हक्क लेने और हक्क छीनने के स्थान पर हक्क देने और कुरबानी की भावना पैदा हो। लेकिन हमारे अंदर अगर यह गुणवत्ता नहीं तो हम एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो अल्लाह तआला को नापसंद है।

फिर एक विशेषता जो विशेष रूप से उहदेदारों के अंदर होनी चाहिए। वह विनम्रता है। अल्लाह तआला ने रहमान खुदा के बन्दों की यह निशानी बताई है कि **يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا** (अल्फुरकान 64) वह ज़मीन पर विनम्रता से चलते हैं। इसलिए यह भी उच्च कोटि का आदर्श हमारे उहदेदारों में होना चाहिए। जितना बड़ा किसी के पास पद है उतनी ही अधिक उसे सेवा की भावना से लोगों से मिलने की दृष्टि से विनम्रता दिखानी चाहिए और यही महानता है। लोग देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि उहदेदारों के व्यवहार क्या हैं। कई बार लोग मुझे लिख भी देते हैं कि उस उहदेदार का रखैया ऐसा था लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस उहदेदार ने मुझे न केवल सलाम किया बल्कि मेरा हाल भी पूछा और बड़ी नैतिकता का व्यवहार किया और इस व्यवहार को देख कर खुशी हुई और इस से उहदेदार की महानता प्रकट हुई।

अतः अधिकतर जमाअत के लोग तो ऐसे हैं कि उहदेदारों के प्यार नर्मी और करूणा के व्यवहार से ही खुश हो कर हर कुरबानी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी उहदेदार के दिल में अपने पद के कारण से किसी भी प्रकार की बड़ाई पैदा होती है या अहंकार पैदा होता है तो उसे याद रखना चाहिए कि यह बात अल्लाह तआला से दूर करती है और जब खुदा तआला से मनुष्य दूर हो जाता है तो फिर काम

में बरकत नहीं रहती और धर्म का काम तो है ही विशेष रूप से खुदा तआला की प्रसन्नता के लिए और जब खुदा तआला की खुशी ही नहीं रही तो ऐसा व्यक्ति जमाअत के लिए लाभ के स्थान पर नुकसान का कारण बन जाता है।

इसलिए हमेशा उहदेदारों को विशेष रूप से इस मामले में अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि उनमें विनम्रता है या नहीं और है तो किस हद तक है। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना कोई विनम्रता अपनाता है अल्लाह तआला उतना ही उसे ऊँचा पद प्रदान करता है।

(मुस्लिम किताबुल बिर्रेवस्सिला हदीस 6487)

अतः प्रत्येक उहदेदार को याद रखना चाहिए कि अगर अल्लाह तआला ने उसे जमाअत की सेवा का अवसर दिया है तो यह अल्लाह तआला का उपकार है और उस उपकार की शुक्रगुज़ारी, उसमें अधिक विनम्रता और विनय का पैदा होना है। अगर यह विनम्रता अधिक पैदा नहीं होती तो अल्लाह तआला के एहसान का शुक्र अदा नहीं होता।

कभी-कभी देखने में आता है कि कुछ लोग सामान्य परिस्थितियों में अगर मिलें तो बड़ी विनम्रता प्रकट करते हैं लोगों से भी सही ढंग से मिल रहे होते हैं लेकिन जब किसी को अपने अधीन या साधारण आदमी से विचारों में मतभेद हो जाए तो तुरंत उनकी अफसरी की रग जाग जाती है और बड़े उहदेदार होने का अहंकार अपने अधीनस्थों के साथ अंहकार पूर्ण व्यवहार प्रकट करवा देता है। तो विनम्रता यह नहीं कि जब तक कोई जी हुजूरी करता रहे किसी ने असहमति नहीं की तब तक विनम्रता व्यक्त हो। यह बनावटी विनम्रता है असल हक्कीकत उस समय खुलती है जब विचारों में मतभेद हो या मातहत इच्छा के स्थिलाफ बात कर दे तो फिर न्याय पर कायम रहते हुए उस राय का अच्छी तरह

जायज्ञा लेकर फैसला किया जाए। अतः इस विनम्रता के साथ ऊंचा हौसला भी प्रकट होगा और जब यह होगा तो यह विनम्रता वास्तविक विनम्रता कहलाएगी।

हमेशा उहदेदार को अल्लाह तआला का यह आदेश सामने रखना चाहिए कि

وَلَا تُصِّرِّخْ خَدْكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِحِ الْأَرْضَ مَرَحًا

(लुकमान 19) और अपने गाल लोगों के सामने गुस्सा से मत

फुलाओ। (और अपना मुंह क्रोध से न फुलाओ) और ज़मीन में

अंहकार से मत चलो।

राय के मतभेद की मैंने बात की है तो इस बारे में यह भी बता दूं कि नियम बेशक अमीर जमाअत को यह अनुमति देते हैं कि कई बार वह कार्यकारिणी की राय को अस्वीकार करके अपनी राय के अनुसार निर्णय करे लेकिन हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चला जाए और परामर्श से बहुमत से ही फैसले हों और काम हों। कुछ स्थान पर अमीर इस अधिकार को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इस अधिकार का उपयोग चरम मामले में होना चाहिए। जहां यह पता हो कि जमाअत का यह हित है तो फिर वहाँ कार्यकारिणी पर स्पष्ट भी कर दिया जाए। जमाअत के व्यापक हितों को सामने रखते हुए यह होना चाहिए। इसके लिए दुआ से अल्लाह तआला की मदद भी लेनी चाहिए। केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा न करें। स्पष्ट रहे कि यह अधिकार जमाअत के सदरों को नहीं। जहां राष्ट्रीय सदर हैं वहाँ भी उन्हें नहीं कि कार्यकारिणी की राय को खारिज करते हुए अपनी राय के अनुसार फैसला करें। अपने-अपने काम के दायरे को समझने के लिए उहदेदारों के लिए आवश्यक है कि नियमों को पढ़ें और समझें। अगर नियमों के अनुसार कार्य करेंगे तो कई छोटी छोटी समस्याएं जो

कार्यकारिणी के अंदर या जमाअत के व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं वे नहीं बनेंगी।

फिर एक गुण उहदेदारों का यह भी होना चाहिए कि वे मातहतों से अच्छा व्यवहार करें। जमाअत के अक्सर काम तो स्वैच्छिक होते हैं। जमाअत के लोग जमाअत के काम के लिए समय देते हैं कि वे खुदा तआला की खुशी चाहते हैं। इसलिए समय देते हैं कि उन्हें जमाअत से संबंध और प्यार है। इसलिए उहदेदारों को भी अपने काम करने वालों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और उनसे सम्मान से पेश आना चाहिए और यही अल्लाह तआला का भी आदेश है।

फिर सम्मान के साथ अपने नायब और मातहतों को काम सिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि जमाअत का काम बेहतर रूप में चलाने के लिए हमेशा कार्यकर्ता मुहैया होते रहें। जमाअत के कामों को तो अल्लाह तआला चला रहा है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन अगर उहदेदार जिन्हें कार्य का अनुभव है कार्य करने वालों की दूसरी पंक्ति तैयार करते हैं तो उन्हें इस काम का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तआला की कृपा से न ही मुझे, और न पहले खलीफ़ाओं को कभी यह चिंता हुई कि जमाअत के काम कैसे चलेंगे यह तो अल्लाह तआला का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा है। वह इंशा अल्लाह तआला काम करने वाले निश्छल लोग मुहैया करता रहेगा।

(उद्धरित बराहीन अहमदिया रूहानी खज्जायन भाग 1 पृष्ठ 267 हाशिया)

हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह के समय में एक उहदेदार का मानना था कि मेरी रणनीति और मेरी मेहनत के कारण से वित्तीय प्रणाली उत्कृष्ट रूप में चल रही है। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह को जब यह पता चला तो आप ने उसे हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसे वित्तीय विषय का कुछ भी

ज्ञान न था लेकिन चूंकि यह अल्लाह तआला का काम है और समय के ख़लीफा के साथ अल्लाह तआला से जो व्यवहार है इसलिए नवागंतुक उहदेदार जिसे कुछ भी नहीं पता था उसके काम में इतनी बरकत पड़ी कि उससे पहले कभी कल्पना भी नहीं थी।

इसलिए उहदेदारों को तो अल्लाह तआला मौका देता है। जमाअत के कार्यकर्ताओं को तो अल्लाह तआला मौका देता है। वाकफीन जिन्दगी को तो खुदा तआला मौका देता है कि वे जमाअत की और धर्म की सेवा करके अल्लाह तआला के फज्जलों के वारिस बनें वरना काम तो खुद अल्लाह तआला का है और यह उसका वादा है। इसलिए किसी के मन में यह विचार नहीं होना चाहिए कि मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान जमाअत के कार्य चला रहा है या मेरा अनुभव और ज्ञान जमाअत के कार्यों को चला सकता है। जमाअत के कार्यों को खुदा तआला का फज्जल चला रहा है। हमारी कई कमज़ोरियां कमियां ऐसी हैं अगर सांसारिक काम हो तो उनमें वह बरकत हो ही नहीं सकती। उनके वे अच्छे नतीजे निकल ही नहीं सकते लेकिन अल्लाह तआला पर्दापोशी करता है और खुद फरिशतों के माध्यम से सहायता करता है।

तब्लीग के जैसे काम हैं इस में ही इन पश्चिमी देशों में भी अल्लाह तआला ने यहाँ पले बढ़े ऐसे युवा कार्यकर्ता प्रदान कर दिए हैं जिन्होंने अपने दम पर धार्मिक ज्ञान हासिल किया है और फिर अहमदियत के विरोधियों के मुँह बंद करते हैं और ऐसे जवाब देते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है और फिर कई ऐसे युवा हैं जिनके ऐसे जवाबों से विरोधियों को भागने के अतिरिक्त कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए उहदेदार धर्म की सेवा के अवसर को अल्लाह तआला का फज्जल समझें न कि अपने किसी अनुभव और योग्यता का कारण।

फिर एक विशेषता उहदेदारों में जो होनी चाहिए वह प्रसन्नभाव और

نैतिकता से व्यवहार करना है। अल्लाह तआला फरमाता है: ﴿وَ قُولُوا إِنَّمَا حُسْنًا مَمْلُوكٌ لِلّٰهِ كَرَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (अल्बकर: 84) अर्थात् लोगों के साथ नरमी से बात करो और नैतिकता से पेश आओ। तो यह भी एक बुनियादी गुण है जो उहदेदारों में बहुत अधिक होना चाहिए अपने अधीनस्थों से अपने साथ काम करने वालों से भी जब बातचीत करें और इसी तरह अन्य लोगों से भी जब बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उनसे उच्च कोटि की नैतिकता का प्रदर्शन होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की वजह से कई बार सख्ती से बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन यह ज़रूरत आखिरी कदम है और अगर प्यार से किसी को समझाया जाए और उहदेदार, लोगों को यह एहसास दिला दें कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं तो नब्बे प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो समझ जाते हैं और जमाअत से सहयोग करने को तैयार होते हैं इसलिए कि जमाअत से उन्हें एक संबंध है लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण शर्त यही है कि लोगों में यह भावना पैदा हो या लोगों को यह एहसास हो जाए कि उहदेदार हमारे हमदर्द हैं। नरमी से लोगों से बात करें। किसी की ग़लती पर शुरू में ही इस तरह पकड़ न कर लें कि दूसरे को अपनी सफाई का सही तरह मौका ही न मिले। हाँ जो आदी हैं, बार बार करने वाले हैं, बात बात पर उपद्रव और फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं उनके साथ सख्ती भी करनी पड़ती है लेकिन इसके लिए पूरी तरह तहकीक होना चाहिए और फिर साथ ही यह सख्ती भी निजी शत्रुता का रूप धारण करने वाली नहीं होनी चाहिए। बल्कि सुधार के लिए होनी चाहिए। आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलौहि वसल्लम ने एक अवसर पर अपने नियुक्त किए यमन के गवर्नरों को यह नसीहत फ़रमाई थी कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना। मुश्किलें न पैदा करना और प्यार और खुशी फैलाना। घृणा न पनपने देना।

(मुस्द अहमद बिन हंबल भाग 6 पृष्ठ 638 हदीस 19935 संस्करण आलमुल कुतुब बैरूत 1998 ई)

इसलिए यह ऐसी नसीहत है जो उहदेदारों और जमाअत के व्यक्तियों के बीच भी सम्बन्धों में मज़बूती पैदा करती है जिसके परिणामस्वरूप जमाअत में भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने की रुह पैदा होती है।

इसलिए उहदेदारों की और विशेष रूप से सदरों और तरबियत के विभागों और फैसला करने वाली संस्थाओं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के तरीके सोचें लेकिन यह भी ध्यान रहे कि अल्लाह तआला के आदेश के अंदर रहते हुए यह तरीके अपनाने हैं। दुनियादारों की तरह नहीं कि आसानियां अपनाने के लिए खुदा तआला की आदेशों को भूल जाएँ। हम ने शरीयत की सीमा के भीतर रहते हुए खुदा तआला की इच्छा को प्रधानता देते हुए बन्दों के भी हक्क अदा करने हैं और अपने वादों और अपनी अमानतों की भी रक्षा करनी है।

फिर जैसा कि मैंने कहा कि नियम और अधिकारों की किताब हर उहदेदार को देखनी चाहिए और अपने विभागों के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। कई बार उहदेदारों को अपनी सीमाओं का भी पता नहीं होता एक विभाग एक काम कर रहा होता है, जबकि नियमों में दूसरे विभाग में वह काम लिखा होता है। या कई बार ऐसा सूक्ष्म अंतर कार्यों के बारे में होता है जिस पर विचार न करते हुए दो विभाग एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहे होते हैं।

पिछले दिनों मेरी यहाँ यू.के की कार्यकारिणी से भी बैठक थी। वहां भी मुझे एहसास हुआ कि इस बारीक अंतर को न समझने के कारण अकारण बहस शुरू हो जाती है। अगर नियमों को पढ़ें तो इस तरह समय बर्बाद न हो। जैसे तब्लीग के विभाग ने तब्लीगी अभियान भी चलाना है और संपर्क भी करने हैं। संपर्क से ही तब्लीग आगे फैलेगी। इसी तरह उम्रे खारजा विभाग है उसने भी संपर्क करने हैं और जमाअत का परिचय भी करवाना है। दोनों का दायरा अलग-अलग है एक ने तब्लीग के उद्देश्य के लिए काम करना है दूसरे ने अपने लोक सम्पर्क के लिए यह काम करना है। संबंध बढ़ाने के लिए यह काम करना है।

मूल उद्देश्य तो जमाअत का परिचय और धर्म की ओर मार्गदर्शन है ताकि दुनिया को खुदा तआला की ओर लाकर हम उनका लोक और परलोक भी संवारने की कोशिश करें और विश्व शांति की स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया जाए। सांसारिक रूप में कोई क्रेडिट लेना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य तो खुदा तआला को खुश करना और प्रसन्नता पाना है। अगर विभाग आपस में सहयोग से काम करें तो परिणाम कई गुना बेहतर निकल सकते हैं।

फिर प्रायः निर्धारित स्थानों से इस बात को भी व्यक्त किया जाता है कि विभागों के बजट सही तरह निर्धारित नहीं किए जाते। हर विभाग को वह बजट जो शूरा में पास हुआ होता है दिया जाना चाहिए और उसे खर्च करने का संबंधित सैक्रेटरी को अधिकार होना चाहिए। हाँ यह आवश्यक है कि सैक्रेटरी साल के काम की योजना कार्यकारिणी में पेश करे और उस अनुमोदित योजना के अनुसार खर्च हो और फिर काम की समीक्षा प्रत्येक कार्यकारिणी बैठक में ली जाए और यदि अनुमोदित परियोजना में या काम के तरीके में किसी बदलाव की ज़रूरत या बेहतरी की गुंजाइश की ओर किसी का ध्यान हो तो दिलाया जाए और उस पर दोबारा विचार कर लिया जाए।

फिर अमीरों और सदरों और जमाअत के सेक्रेट्रियों का यह भी बहुत महत्वपूर्ण काम है कि केंद्र से जो निर्देश जाते हैं या परिपत्र जाते हैं उन पर त्वरित और पूरी ध्यान से कार्रवाई करें और अपनी जमाअतों के द्वारा भी करवाया जाए। कुछ जमाअतों के बारे में यह शिकायत मिलती है कि केंद्र के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता। अगर किसी निर्देश के बारे में किसी विशेष देश या जमाअत को आन्तरिक परिस्थितियों की वजह से कुछ सुरक्षाएं हों तो भी तुरंत केंद्र से संपर्क कर उसमें स्थिति के अनुसार बदलाव का आवेदन करना चाहिए और

यह अमीर जमाअत और सदर का काम है लेकिन यह किसी तरह से भी उचित नहीं कि अपनी बुद्धि लड़ाते हुए इस निर्देश को एक तरफ रख कर दबा दिया जाए और उस पर पालन न करवाया जाए और न ही केंद्र को सूचित किया जाए। किसी भी अमीर या सदर जमाअत की यह हरकत मर्कज के विरुद्ध रवैया समझी जाएगी और इस विषय में फिर मर्कज कार्रवाई भी कर सकता है।

मूसियों के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मूसियों को यह याद रखना चाहिए कि अपने चंदे की नियमित अदायगी और उसका हिसाब रखना प्रत्येक मूसी की अपनी जिम्मेदारी है लेकिन मुख्य कार्यालय और संबंधित सेक्रेट्रियों का काम भी है कि हर मूसी का हिसाब पूरा रखें और जब ज़रूरत हो उन्हें याद भी करवाएं कि उनके चंदे की क्या स्थिति है? मुल्क की जमाअत का काम है कि स्थानीय जमाअतों के सेक्रेटरियों को हरकत में लाएं और हर मूसी उनके संपर्क में हो। कई बार देखने में आता है कि किसी मामले में किसी व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट मंगवाई जाती है और वह व्यक्ति मूसी होता है। रिपोर्ट में उल्लेख कर दिया जाता है कि उसने इतने समय से वसीयत का चंदा नहीं दिया। जब पूछा जाए कि वसीयत का चंदा नहीं दिया तो वसीयत कैसे क्रायम है? तो तहकीक करने पर पता चलता है कि मूसी का दोष नहीं था। उसने चंदा तो दिया था रिकॉर्ड रखने वालों ने कार्यालय ने सही रिकार्ड नहीं रखा। एक तो ऐसी रिपोर्ट अकारण मूसी को परेशान करने का कारण बनती है। दूसरे जमाअतों में निजाम की कमज़ोरी का भी बुरा असर पड़ता है। अब तो ठोस हिसाब रखने की व्यवस्था हो चुकी है। बड़ा systematic तरीका है। कंप्यूटर हैं सब कुछ है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हर देश के सेक्रेट्रियान-ए-वसाया और सेक्रेट्रियान-ए-माल अपने देश की हर जमाअत के संबंधित सेक्रेट्रियों को हरकत

में लाएं और जमाअत के सदर का भी यह काम है कि समय समय पर समीक्षा करते रहा करें। केवल चंदा इकट्ठा करना और उसकी रिपोर्ट करना उनका काम नहीं है बल्कि इस प्रणाली को विश्वसनीय बनाना और केंद्र और स्थानीय जमाअत की प्रणाली में मजबूत संबंध पैदा करना भी उहदेदारों का काम है।

इसी तरह एक बात मुबल्लिगों और मुरब्बियों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कुई जगह मुरब्बियों की नियमित हर महीने मीटिंग नहीं होती। मुबल्लिग इन्चार्ज इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि यह मीटिंग नियमित हों। जमाअत की तरबियत और तब्लीग के कार्यों का भी अवलोकन हो। जो बेहतर काम किसी ने किया है उसके बारे में चर्चा हो और किसी की ओर से इस बेहतर काम का जो तरीका अपनाया गया था उससे दूसरे भी लाभ उठाने की कोशिश करें। इसी तरह जो जमाअत के सेक्रेट्रियान जमाअतों को निर्देश देते हैं या केंद्र के निर्देश पर जमाअतों को निर्देश भिजवाए जाते हैं इस बारे में भी रिपोर्ट दें। मुरब्बियान यह भी देखा करें कि हर जमाअत में इस संबंध में कितना काम हुआ है और जहां सेक्रेट्रियान सक्रिय नहीं हैं, विशेष कर के तब्लीग और तरबियत और वित्तीय कुरबानी के मामले में वहाँ मुरब्बियान और मुबल्लिगीन उन्हें ध्यान दिलाएं।

अल्लाह तआला सभी उहदेदारों को तौफीक्र दे कि उन्हें अल्लाह तआला ने जो अगले तीन साल के लिए सेवा का मौका दिया है उसमें वे अधिकतम काम अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निष्पादित कर सकें और अपनी हर कथनी और करनी से जमाअत में आदर्श बनने वाले हों।
